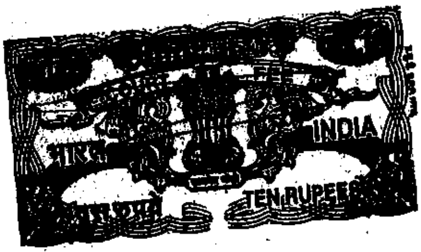

(63)

Before H. Board of Revenue M.P.

पुर्नरीक्षण 2549-एक प्र.क्र. /2012

न्यायालय माननीय कलेक्टर महोदय राजगढ़ जिला राजगढ़ [मध्य प्रदेश]

[redacted]

1- रेखाबाई पुत्री स्वर्गीय छोटेलाल जाति जाटव

2- नीतूबाई पुत्री स्वर्गीय छोटेलाल जाटव

सर्व नि. ब्यावरा जिला राजगढ़ [म.प्र.]

......पुर्नरीक्षणकर्तागण

श्री दिनेश गुप्ता अभि. द्वारा प्रस्तुत।

RTK
20/7/12

1- हंसोबाई बेवा स्व. छोटेलाल जाटव (रीवकर)

2- बसन्तीबाई बेवा भातसिंह जाति जाटव (पति एवं जीवित)

सर्व निवासी ब्यावरा हाल मु. ग्राम धानियाखेड़ी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ [म.प्र.]

Ekda टांडी तहसील जिला राजगढ़

......उत्तरदाता

147
20/7/2012

पुर्नरीक्षण धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 के तहत।
पुर्नरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महो. ब्यावरा के प्र.क्र. 5236/11-12 में पारित आदेश दि. 18.7.2012 से दुखी होकर.

माननीय महोदय,

उपरोक्त पुर्नरीक्षणकर्तागण उपरोक्त उत्तरदाता के विरुद्ध वैधानिक अवधि में निम्नलिखित आधारों पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महो. ब्यावरा द्वारा प्र.क्र. 5236/11-12 में पारित आदेश दि. 18.7.2012 से दुखी होकर निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :--

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (रेखाबाई / बसंतीबाई)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2549–एक / 2012 जिला–राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08.12.2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 29–3–2016 से लगातार अनुपस्थित हैं । न्यायहित में प्रकरण आवेदक के अधिवक्ता की उपस्थिति के लिये दिनांक 8–12–2016 तक अनेक पेशियॉ नियत की जाकर, उनकी उपस्थिति का इंतजार किया गया । आज दिनांक 8–12–16 की पेशी की सूचना उभयपक्ष को दूरभाष पर देने के उपरांत भी अनुपस्थित रहे है। उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक की इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः आवेदक को प्रकरण के निराकरण में रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **अध्यक्ष**	